

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2035/VII-1/2018/3(63)/18
देहरादून, दिनांक: 24 नवम्बर, 2018
दि. हा. नं. 2

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र संख्या-1078/एन०ओ०सी०/465/2003, दिनांक 7.2.2003 द्वारा ग्राम बच्चीपुर, मोटाहल्दू में मै० राज लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के नाम से क्रशिंग की क्षमता 1000 टन प्रति दिन/1500 टन नैचुरल स्क्रीनिंग क्षमता के स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी। सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, उ०प्र० एवं उत्तराखण्ड कानपुर द्वारा पत्र दिनांक 31.7.2006 द्वारा मै० राज लक्ष्मी स्टोन क्रेशर का नाम परिवर्तित कर मै० सुभाष स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 9 एवं अध्याय-III के बिन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 640/खनिज/स्टो०नवी०/विनि०/नैनी/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 8 अगस्त, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० सुभाष स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील लालकुआ, मोटाहल्दू, ग्राम बच्चीपुर के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.182 है० भूमि में स्थापित/स्वीकृत स्टोन क्रेशर की प्लान्ट स्वामी द्वारा घोषित क्षमता के आधार पर स्टोन क्रेशर की क्षमता 150 टन प्रति घंटा निर्धारित कर तदनुसार संबंधित स्टोन क्रेशर का विनियमितीकरण करते हुए उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित दिनांक 20.11.2018 के प्रावधानानुसार उक्त नीति के अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के अधीन स्टोन क्रेशर संचालन की अनुज्ञा का नवीनीकरण उक्त नीति के प्रख्यापन की तिथि 19.11.2016 से अग्रेत्तर 05 वर्षों तक निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-III के बिन्दु सं० 1(1) के प्रावधानानुसार अग्रेत्तर वार्षिक शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, 2016 के अधीन करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
9. स्टोन क्रेशर तथा कच्चेयार बेल्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

11. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल हवा में न उड़े।
12. स्टोन केशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा।
13. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
14. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण कृशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फबारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
15. स्टोन केशर स्वामी द्वारा फबारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फबारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
16. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जायेगी। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
17. स्टोन केशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।

बृजेश कुमार सन्त
अपर सचिव

संख्या:- 2035 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. मै० सुभाष स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, ग्राम बच्चीपुर, मोटाहल्दू, तहसील लालकुंआ, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार सन्त)
अपर सचिव